राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(अम्बेडकर भवन, जी–3/1, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया जयपुर–302005)

क्रमांक एफ1( )/स्था/सान्याअवि/2019/6926 जयपुर दिनांक : 12-06-19

–: आदेश :–

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा – 2013 के परिणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा अनुसार कार्मिक (क–4/2) विभाग के पत्रांक प. 9(190)कार्मिक/क–4/2/2017 दिनांक 01.11.2018 के द्वारा नियुक्ति हेतु संदर्भित किये जाने पर राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम 1963 एवं समय–समय पर संशोधित नियमों के अन्तर्गत तथा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवायें संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 के कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर वादकरणो मे पारित आदेश/निर्णय के दृष्टिगत राजस्थान लोक सेवा आयोग के निर्णय दिनांक 11.05.2018 की पालना में निम्नांकित सफल पाये गये अभ्यार्थी को राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा में ग्रुप 'बी' सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के पद पर उपस्थिति देने की संगत तिथि से दो वर्ष की कालावधि (परिवीक्षा काल) के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान), 2017 के अंतर्गत लेवल– 11 में देय स्थिर पारिश्रमिक रुपये 26500/– वेतन भत्तों पर एतद्द्वारा नियुक्त किया जाकर कार्यालय **ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, बसेड़ी, जिला धौलपुर** में रिक्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थापित किया जाता हैं:–

क्र.सं.	मेरिट संख्या	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम (सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती)	श्रेणी	जन्म तिथि
1	2166A	901870	VINAY KUMAR S/O ARJUN PANDIT, G-18, GLORY VILAS SHATABDIPURAM, POST-MAHARAJPUR, DIST- GWALIOR (M.P.)	GE, EX	28/11/1975

नोट : कार्मिक विभाग के पत्र संख्या प.9(190)कार्मिक/क–4/2/2017 दिनांक 03.08.2017 एवं 10.04.2018 के क्रम में समसंख्यक पत्र दिनांक 01.11.2018 द्वारा क्रम संख्या 210 पर अंकित श्री महावीर, मेरिट क्रमांक 2166 के नीचे एवं क्रम संख्या 211 पर अंकित श्वेता शर्मा, मेरिट क्रमांक 2167 के ऊपर ***श्री विनय कुमार, मेरिट क्रमांक 2166ए*** को प्रतिस्थापित किया गया।

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तो के अधीन की जा रही हैं :–

1. उक्त नियुक्तियां मा. सर्वोच्च न्यायालय में दायर स्पेशल अपील संख्या 18272–76/2008 (सिविल अपील संख्या 2049–2053/2011) तथा याचिका संख्या 140/11 एवं मा. उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 6744/2008, 11200/2010 याचिका संख्या 1862/2013 और मा. उच्च न्यायालय में लम्बित सभी विभिन्न रिट याचिका/विशेष अनुमति याचिकाओं एवं समस्त वादकरण के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी। इसके साथ ही मा. उच्च न्यायालय में दायर डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 334/17 द्वारा श्री भंवराराम चौधरी व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 9.5.2017 तथा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 7815, 7825/17 व 8020/17 द्वारा देवेन्द्र पाल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में पारित अंतरिम निर्णय दिनांक

12.7.2017 की अनुपालना में नियुक्तियां उक्त आदेश के अध्यधीन रहेगी। इसी प्रकार डी.बी. स्पेशल अपील रिट सं. 1488/16 झाबरमल ग्रहवाल तथा 1410/16 द्वारा लक्ष्मणसिंह बनाम आयोग के प्रकरणों में मा. उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 26.5.2017 के विरूद्ध मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में एस.एल.पी. तथा एस.बी.सी. डब्ल्यूपी संख्या 13952/16 रामूराम बनाम राज्य सहित कुल 07 रिट याचिकाओं/प्रकरणों (यथा एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 13952/16, 13473/16, 13930/16, 13953/16, 13994/16, 14398/16 व 15120/16) में मा. न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 30.5.2017 के विरूद्ध खण्डपीठ के समक्ष दायर की जाने वाली एस.एल.पी. के निर्णय के अध्यधीन रहेगी। मा. उच्च न्यायालय में दायर रिट संख्या 11200/2010 के अध्यधीन भी उक्त नियुक्तियाँ रहेगी।

2. विशेष पिछडा वर्ग (एस.बी.सी.) की 02 रिक्ति विज्ञापित है, मा. उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा कैप्टन गुरविन्दरसिंह एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य (डी.बी. सिविल रिट पिटिशन सख्या 1645/2016) निर्णय दिनांक 9.12.16 तथा मा. सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी संख्या 3042–3044/2017 में दिये गये अंतरिम आदेश दिनांक 3.2.2017 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की अनुपालना में कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.5.2017 के अनुसरण में प्रभाव स्वरूप सेवा आवंटन किया है। विशेष पिछडा वर्ग के चयनित अभ्यर्थी मेरिट संख्या 633 देवेन्द्र सिंह तथा मेरिट संख्या 714 उदयसिंह अवाना को अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने के लिए विभाग में 02 अधिसंख्य पद (Supernumerary Post) सृजित किये जा रहे है। मा. उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन उक्त एस.बी.सी. अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई (Temporary) आधार की पर गई है। Supernumeary post के लिए वित्त विभाग से सैद्वान्तिक सहमति कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा प्राप्त कर ली गई है। नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात अधिसंख्या पद के सृजन हेतु वित्त विभाग से औपचारिक अनुमति ले ली जायेगी।

3. इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 एवं प.14 (1) वित्त/नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस.एल.पी. संख्या 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।

4. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.15(1)कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.8.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।

5. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वही है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है, और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।

6. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम 1963 एवं समय–समय पर संशोधित नियमों के अनुसरण में उक्त सेवा नियमों के ग्रुप 'बी' परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/सहायक अधीक्षक गृह के उपबन्धों और अपेक्षाओं के अनुसार की गई है।

7. उक्त नियुक्तियाँ सम्बन्धित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन है।

8. इन अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल मे विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
9. यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नही पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा अधिकारी होने की क्षमता नहीं है, तो सरकार इन्हे सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
10. आधारभूत/प्रारम्भिक प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षो के भीतर त्याग–पत्र दे देता है, या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तो के रूप में सदत्त रकम वसूली योग्य नही होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बंधक पत्र निष्पादित करेंगे।
11. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्त संदत्त नही होगा।
12. कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.07.2016 के अनुसरण में टीएसपी वर्ग अभ्यर्थियों से उक्त अधिसूचना के क्रम में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे।
13. उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उनके चरित्र प्रमाण पत्र/पुलिस वेरीफिकेशन राज्य सरकार द्वारा संतोषजनक पाये जाने के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र/पुलिस वेरीफिकेशन प्रतिकूल प्राप्त होता है, तो उसकी नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नही होगा।
14. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के सम्बन्ध में अभ्यर्थी को "Self declaration" अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्ध अमल में लाई जावेगी।
15. उक्त अभ्यार्थियों को नियुक्ति के समय अपने मूल शैक्षणिक प्रमाण–पत्र तथा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होगा। उक्त अभ्यार्थियों में से किसी भी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में त्रुटि/मिथ्या सूचना पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।
16. अभ्यर्थी को नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिन अभ्यार्थियों द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग में प्रस्तुत कर दिया है उन्हें, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा।
17. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं जीवित संतान/सन्तानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।

18 उक्त अभ्यर्थियों मे से यदि कोई भी अभ्यर्थी निश्चित तिथि के 7 दिवस पश्चात तक भी रिपोर्ट नही करते है और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

19 नवनियुक्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सर्वप्रथम विभाग के जिला कार्यालय में कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तथा जिला अधिकारी के मार्गदर्शन व पर्यवेक्षण में जिले के विभागीय कार्यालय, संस्थाओं एवं छात्रावासों में लगभग एक माह का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। व्यावहारिक प्रशिक्षण के पश्चात पदस्थापित कार्यालय में उपस्थिति देंगे।

(सांवरमल वर्मा)
निदेशक
जयपुर दिनांक : 12-06-19

क्रमांक एफ1( )/स्था/सान्याअवि/2019/ 6927-87

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज. जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज. जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं महानिदेशक, हरिशचन्द्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक विभाग (क–4/2), शासन सचिवालय जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2), शासन सचिवालय जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक, सान्याअवि, राज0 जयपुर।
9. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त.....।
10. जिला कलक्टर.....।
11. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), सान्याअवि, जयपुर।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद .....।
13. जिला कोषाधिकारी, कोष कार्यालय.....।
14. निदेशालय के समस्त अधिकारीगण.....।
15. उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परि0 एवं समाज कल्याण अधिकारी.....।
16. जे.डी.आई.टी. मुख्यावास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
17. संस्थापन/डीपीसी/एसीआर/जॉच प्रशाखा मुख्यावास।
18. सम्बन्धित अधिकारी सर्व श्री विनय कुमार पुत्र श्री अर्जुन पंडित निवासी– जी–18, ग्लोरी विलास, शताब्दीपुरम ग्वालियर (उत्तरप्रदेश)।
19. व्यक्तिगत पत्रावली श्री विनय कुमार
20. आदेश पत्रावली।

(जयनारायण मीणा)
अतिरिक्त निदेशक एवं
संयुक्त शासन सचिव